कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....

01. **किशनलाल** आ0 स्व. नाहरू, वयस्क
02. **धापू बाई** पत्नी स्व. नाहरू, वयस्क
03. **सौरम बाई** पत्नी नाथू, वयस्क
04. अटे सिंह आ0 चैन सिंह, वयस्क
05. रामेश्वर आ0 चैन सिंह, वयस्क
06. डाली बाई पुत्री चैन सिंह, वयस्क
07. अनार बाई पत्न स्व. चैन सिंह, वयस्क

समस्त निवासी ग्राम बनी,
तहसील पचोर, ज़िला राजगढ़ .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

रतनलाल आ0 ओंकार, वयस्क
निवासी – ग्राम बनी, तहसील पचोर,
ज़िला राजगढ़ .... **प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2018, जो प्रकरण क्र. 19/अ–70/2016–17 में न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील पचोर, ज़िला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 का तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो उक्त न्यायालय के प्रकरण क्र. 19/अ–70/2016–17 पर दर्ज़ किया जाकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही की जा रही थी।

02. यह कि, उक्त प्रकरण में प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959 का प्रस्तुत किया तथा प्रार्थीगण की ओर से एक आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अपने आवेदन में संशोधन कर निवेदन किया गया।

निरंतर

नीरज श्रीवास्तव

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./राजगढ़/भू.रा./2018/01570

किशनलाल आदि विरुद्ध रतनलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पचोर जिला राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक-19/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27/01/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 29/5/19 सदस्य	